न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 2907–एक/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–8–2014 पारित द्वारा तहसीलदार महिदपुर जिला उज्जैन प्रकरण कमांक 7/अ–13/2013–14.

ईश्वरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह
कृषक झारडा तहसील महिदपुर उज्जैन
निवासी ग्राम झिकडिया तहसील पडावा
राजस्थान

———आवेदक

विरूद्ध

1. सत्यनारायण पिता लक्ष्मीनारायण
   निवासी ग्राम झारडा तहसील महिदपुर
   जिला उज्जैन
2. पूरालाल पिता खेमराजजी
   निवासी ग्राम झारडा तहसील महिदपुर
   जिला उज्जैन

———अनावेदकगण

– – – – – –

श्री आर.सी.मूणत, अभिभाषक, आवेदक
श्री विजय शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक कं. 1

– – – – – –

:: आदेश पारित ::
(दिनांक 01/10/2015)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार महिदपुर जिला उज्जैन के आदेश दिनांक 4–8–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 सत्यनारायण ने एक आवेदन संहिता की धारा 131, 132 के अन्तर्गत तहसीलदार महिदपुर को प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि सर्वे कमांक 195/8 में

आने जाने एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने का परम्परागत मार्ग को ईश्वरदीन द्वारा लकड़ी की फाट लगाकर रोक दिया है अतः मार्ग से अवरोध हटाया जाये। तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 7/अ–13/13–14 दर्ज किया। अनावेदक सत्यनारायण ने संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 4–8–2014 के द्वारा प्रकरण के निराकरण तक लगाई गई बाधा हटाकर मार्ग को बाधित न करने के आदेश दिये। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि स्थल निरीक्षण के पूर्व आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना जारी नहीं की गई। स्थल निरीक्षण तहसीलदार द्वारा किया जाना चाहिए था, परन्तु तहसीलदार द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण न करते हुये राजस्व निरीक्षक से स्थल निरीक्षण कराया। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्थगन आदेश दिया था इसके पश्चात उक्त भूमि पर आवेदक की फसल खडी है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ता देने का आदेश दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी तर्क दिया कि अनावेदक कमांक 1 के पास उपरोक्त वैकल्पिक मार्ग जो इन्दौर रोड से जाने वाला रास्ता विद्यमान होते हुये भी नया रास्ता आवेदक की भूमि में देने का जो आदेश दिया है वह निरस्ती योग्य है।

4/ अनावेदक कमांक 1 के अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित रास्ता रूढिगत रास्ता है जिसे आवेदक द्वारा लकड़ी की फाट लगाकर रोक दिया है। अनावेदक सहित अन्य कास्तकार उक्त रास्ते का उपयोग कई वर्षों से करते चले आ रहे थे। अनावेदक ने जिस व्यक्ति से भूमि खरीदी थी वह भी उक्त रास्त का उपयोग कर रहा था, विकेता द्वारा अनावेदक के पक्ष में रास्ता पूर्व से होने बावत शपथपत्र प्रस्तुत किया था। जब भूमि विकय कर दी उसके पश्चात आवेदक ने रास्ता को अवरूद्ध कर दिया। आवेदक का यह कहना गलत है कि उसे कोई सूचना नहीं दी गई जबकि

आवेदक को सूचना पत्र जारी किया गया था जिसे उसने लेने से इंकार कर दिया जिसके पश्चात तहसीलदार ने आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की। तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश उचित है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने अनावेदक सत्यनारायण द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रूप से रास्ता खोलने के आदेश दिये। रास्ता खोलने बावत प्रस्तुत स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है, जबकि संहिता की धारा 131 में स्थल निरीक्षण तहसीलदार द्वारा स्वयं किये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय ने दिनांक 21–8–2014 को तीन माह के लिए स्थगन दिया था। अब पुनः यह तर्क देना कि विवादित भूमि पर उसकी सोयाबीन की फसल खड़ी है, मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि आवेदक को फसल काटने के लिए पूर्व में स्थगन प्रदान किया जा चुका है। उक्त स्थगन आदेश का लाभ लेकर यदि आवेदक द्वारा पुनः कोई फसल लगाई है तो उसने त्रुटि की है। चूंकि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में स्वयं स्थल निरीक्षण न कर राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर रास्ता खोलने के अन्तरिम आदेश दिये हैं। तहसीलदार के आदेश में हस्तक्षेप न करते हुये प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अन्तिम आदेश के पूर्व स्वयं स्थल निरीक्षण कर, साक्ष्य ग्रहण करने के उपरांत प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर तीन माह में अन्तिम निराकरण करें। इस निर्देश के साथ प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर